

कायालय अधिशाही अभियन्ता जल संसाधन नवनेरा परियोजना खण्ड प्रथम कोटा

क्रमांक : अ.अ./जस./नवनेरा/वर्गभोग/2020/291

दिनांक : 07.10.2020

विषय :- Diversion of 700.347 Ha forest land in favour of EXECUTIVE ENGINEER WR DIV KOTA for Navnera Barrage across Kalisindh river near village Abra Tehsil Digid Dist Kota (Rajasthan) under Eastern Rajasthan Canal Project (ERCP) Phase-I(A) (Proposal No. FP/RJ/IRRI/G/35905/2018)

संदर्भ :- श्रीमान कायालय पत्र क्रमांक एक14(301/17/2018/एकसीए/प्रमुवस/2808 दिनांक 30.09.2020

महोदय

उपरोक्त विषयान्वित निवेदन है कि श्रीमान जिला कलेक्टर कोटा के कार्यालय पत्रांक 2228 दिनांक 16.09.2020 द्वारा नौनेरा बैराज के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के एवज में समतुल्य 580.938 है 0 राजस्व भूमि वन विभाग को आवंटन का प्रकरण राजस्व विभाग (गुप=3) राजस्थान जयपुर को प्रेषित किया गया था तथा आवंटन शीघ्र अपेक्षित है।

श्रीमान के संदर्भित पत्र के क्रम में श्रीमान जिला कलेक्टर कोटा ने अपने कार्यालय पत्रांक 40 () राजस्व-111 नौनेरा /2020/2513-16 दिनांक 07.10.2020 (प्रति संलग्न) द्वारा 580.938 है 0 भूमि जिसका प्रकरण वन विभाग को आवंटन हेतु राजस्व विभाग (गुप-3) राजस्थान जयपुर को भिजवाया गया है, के संदर्भ में श्रीमान को निवेदन किया है कि "राजस्व विभाग से निस्सारण तक इस भूमि (580.938 है 0) को वन विभाग हेतु आरक्षित रखा जावेगा तथा अन्य किसी प्रयोजनार्थ इस भूमि का आवंटन किसी अन्य को नहीं किया जावेगा"।

बादा जिला हेतु नौनेरा बैराज के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के एवज में 119.409 है 0 राजस्व भूमि का आवंटन किये जाने कि राजकीय स्वीकृति शासन उप सचिव राजस्थान सरकार राजस्व विभाग (गुप-3) राजस्थान जयपुर के कार्यालय पत्रांक 46(38)राज-3/2020 जयपुर दिनांक 5.10.2020 द्वारा प्रदान की जा चुकी है (प्रति संलग्न)

अतः श्रीमान से निवेदन है कि श्रीमान के संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में प्राप्त आक्षेपों की पूर्ति की जा चुकी है अतः प्रकरण को अग्रिम स्तर प्रेषित करवाने का कष्ट करे।

(प्रदीप कुमार गुप्ता)

अधिशाही अभियन्ता
जल संसाधन नवनेरा परियोजना
खण्ड प्रथम कोटा

दिनांक : 07.10.2020

क्रमांक : अ.अ./जस./नवनेरा/वर्गभोग/2020/292-98
प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है-
1. श्रीमान मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग कोटा।
2. श्रीमान मुख्य वन संरक्षक कोटा।
3. श्रीमान जिला कलेक्टर कोटा/बारा।
4. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत्त कोटा।
5. श्रीमान उप वन संरक्षक कोटा/बारा।

अधिशाही अभियन्ता
जल संसाधन नवनेरा परियोजना
खण्ड प्रथम कोटा



राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक प. 6 (38) राज. - 3 / 2020

जिला कलक्टर,
बारा।

विषय:- Eastern Rajasthan Canal Project (E.R.C.P.) के अन्तर्गत निर्माणित नौनरा बैराज के जूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के एवज में राजस्व भूमि आवंटित करने बाबत।

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक 1125 दिनांक 16.03.2020 एवं 2902 दिनांक 18.09.2020 महीदय.

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में आपके प्रस्तावानुसार Eastern Rajasthan Canal Project (E.R.C.P.) के अन्तर्गत निर्माणित नौनरा बैराज के जूब क्षेत्र में आ रही वारांजिल की तहसील, अन्ता व मांगरोल की 119.409 है० वन भूमि का वारांजिल की तहसील किशानगंज एवं शाहबाद की 119.409 है० राजस्व भूमि से प्रत्यावर्तन कर जल संसाधन विभाग को आवंटन करने एवं प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप वारांजिल की तहसील, अन्ता व मांगरोल की 119.409 है० वन के बदले अधिशाही अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड कोटा व उप वन संरक्षक, वारांजिल की सहमति के आधार पर ग्राम इकलेरा सागर, तहसील किशानगंज की आराजी खसरा नं० 257 रकबा 581 बीघा 15 बिस्वा (93.08 है०) किस्म, गैर मुम्किन बेहड़ व तहसीलदार, शाहबाद द्वारा ग्राम नवनाखड़ा, तहसील शाहबाद की आराजी खसरा नं० 196 रकबा 40 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं० 197 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं० 198 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं० 200 रकबा 27 बीघा 05 बिस्वा में से 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं० 201 रकबा 32 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं० 209 रकबा 4 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नं० 210 रकबा 25 बीघा व खसरा नं० 211 रकबा 43 बीघा 11 बिस्वा किस्म बंजड़ कुल किला 9 कुल रकबा 746 बीघा 07 बिस्वा (कुल 119.409 है० राजस्व भूमि) भूमि, वन विभाग को राजस्थान भू-आवंटन नियम 1963 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के तहत आवंटन किये जाने की राजकीय रवीकृति निर्देशानुसार एतद्वारा प्रदान की जाती है।

प्रतिलिपि :-

1. विविध सहायक, मा० राजस्व मंत्री महीदय।
2. रक्षित पत्रावली।
3. गार्ड पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

महोदय
(कमलेश आरुसाया)
शासन उप सचिव
05.10.20



कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

www.kota.rajabasthan.gov.in

क्रमांक: ५० (राजस्व-III/नौसेा / 2020 २५१३-१६ दिनांक 7.10.2020

श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff)
राजस्थान सरकार, जयपुर

विषय :- Diversion of 700.347 Ha forest land in favour of EXECUTIVE ENGINEER WR DIV KOTA for Navnera Barrage across Kalisindh river near village Abra Tehsil Digid Dist Kota (Rajasthan) under Eastern Rajasthan Canal Project (ERCP) Phase-I(A) (Proposal No. FP/RJ/IRRI/35905/2018)
संदर्भ :- श्रीमान का कार्यालय पत्र क्रमांक एफ14(301/17)2018/एकसीए/प्रमवस/2808 दिनांक 30.09.2020

महोदय

उपरोक्त विधानागत लेख है कि नवनेरा परियोजना हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2228 दिनांक 16.09.2020 द्वारा नौसेा बैराज के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के एवज में राजस्व भूमि वन विभाग को आवंटन का प्रकरण राजस्व विभाग (ग्रुप-3) राजस्थान जयपुर को प्रेषित किया गया था जिसमें शीघ्र आवंटन अधिलक्षित है।
श्रीमान के संदर्भित पत्र के क्रम में उपरोक्त भूमि जो वन विभाग को आवंटन हेतु राजस्व विभाग को भिजवायी गई है, अतः राजस्व विभाग से निस्सारण तक इस भूमि को वन विभाग हेतु आरक्षित रखा जावेगा तथा अन्य किसी प्रयोजनाार्थ इस भूमि का आवंटन किसी अन्य को नहीं किया जावेगा।

जिला कलेक्टर
कोटा

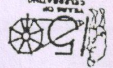
दिनांक 7.10.2020

क्रमांक: ५० (राजस्व-III/नौसेा / 2020 २५१३-१६ दिनांक 7.10.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान मुख्य वन संरक्षक कोटा।
2. श्रीमान उप वन संरक्षक कोटा।
3. अधिशासी अभियन्ता जल संसाधन नवनेरा परियोजना खण्ड प्रथम कोटा।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा



कायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

दिनांक/6-09-2020

कमांक:पु0 (राजस्व-III/नौसेरा/2020/29298

राजस्थान उच्च न्यायालय,
राजस्थान (गुप-3) विभाग,
राजस्थान जयपुर।

विषय:- पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) के अन्तर्गत कालीसिन्ध नदी पर निर्माणधीन नौसेरा बेराज के दूध क्षेत्र में आ रही वन भूमि के प्रवाल से राजस्व भूमि आरक्षित करने बाबत।
प्रस्ता:- तहसीलदार लाडपुरा का पत्र कमांक: राजस्व/2020/406 दिनांक 28.07.2020 एवं तहसीलदार सांगीद का पत्र कमांक: भू अभि0/2020/2285 दिनांक 23.07.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से अधिष्ठापी अभिप्राय, जल संसाधन खण्ड कोटा से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) के अन्तर्गत निर्माणधीन नौसेरा बेराज के दूध क्षेत्र में आ रही कोटा जिले की 580.938 है0 वन भूमि के बदले वन विभाग को अन्य सिवायक भूमि देने की मांग प्राप्त होने पर तहसील लाडपुरा एवं सांगीद से सिवायक भूमि 580.938 है0 के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। भूमि का विवरण ग्रामवार, खसरा वार, रकबा एवं किस्म निम्नप्रकार है:-
ग्राम बरौ तहसील सांगीद की आयाजी ख.न. 10 रकबा 1.75 है0, ख.न. 11 रकबा 4.70 है0, ख.न. 12 रकबा 0.77 है0, ख.न. 13 रकबा 0.73 है0, ख.न. 15 रकबा 7.26 है0, ख.न. 16 रकबा 6.23 है0, ख.न. 09 रकबा 6.41 है0, ख.न. 05 रकबा 5.25 है0, ख.न. 06 रकबा 2.17 है0, ख.न. 07 रकबा 6.23 है0, ख.न. 283 रकबा 2.25 है0, ख.न. 284 रकबा 0.50 है0, ख.न. 295 रकबा 0.67 है0, ख.न. 296 रकबा 8.50 है0, ख.न. 462 रकबा 3.06 है0, ख.न. 297/524 रकबा 0.40 है0, ख.न. 322 रकबा 9.24 है0, कुल किला 17 रकबा 66.12 है0 किस्म गौ गो खाल।
ग्राम गुयायला तहसील सांगीद की आयाजी के ख.न. 8 रकबा 6.05 है0 किस्म गौ.गु. खाल खदर, ख.न. 17 रकबा 14.96 है0 किस्म गौ.गु.खाल खदर, ख.न. 33 रकबा 2.48 है0 किस्म गौ.गु.खाल खदर, ख.न. 47 रकबा 6.46 है0 किस्म गौ.गु.खाल खदर, ख.न. 117 रकबा 1.40 है0 किस्म गौ.गु.खाल खदर, ख.न. 130 रकबा 4.44 है0 किस्म गौ.गु.खाल खदर, ख.न. 131 रकबा 1.17 है0 किस्म गौ.गु.खाल खदर, ख.न. 133 रकबा 1.88 है0 किस्म गौ.गु.खाल खदर, ख.न. 134 रकबा 3.16 है0 किस्म गौ.गु.खाल खदर, ख.न. 171 रकबा 1.60 है0 किस्म गौ.गु.खाल खदर, ख.न. 175 रकबा 2.07 है0 किस्म गौ.गु.खाल खदर, ख.न. 176 रकबा 1.80 है0 किस्म गौ.गु.खाल खदर, ख.न. 177 रकबा 1.27 है0 किस्म गौ.गु.खाल खदर, ख.न. 187 रकबा 0.73 है0 किस्म गौ.गु.खाल खदर, ख.न. 190 रकबा 3.97 है0 किस्म गौ.गु.खाल खदर, ख.न. 210 रकबा 0.77 है0 किस्म गौ.गु.खाल खदर, ख.न. 212 रकबा 2.46 है0 किस्म गौ.गु.खाल खदर, ख.न. 214 रकबा 1.39 है0 किस्म गौ.गु.खाल खदर, ख.न. 264 रकबा 4.29 है0 किस्म गौ.गु.खाल खदर, ख.न. 322 रकबा 0.25 है0 किस्म गौ.गु.खाल खदर, ख.न. 323 रकबा 1.45 है0 किस्म गौ.गु.खाल खदर, ख.न. 324 रकबा 0.44 है0 किस्म गौ.गु.खाल खदर, ख.न. 325 रकबा 1.43 है0 किस्म गौ.गु.खाल खदर, ख.न. 326 रकबा 4.72 है0 किस्म गौ.गु.खाल खदर, ख.न. 327 रकबा 1.65 है0 किस्म गौ.गु.खाल खदर, ख.न. 328 रकबा 1.14 है0 किस्म गौ.गु.खाल खदर, ख.न. 357 रकबा 5.87 है0 किस्म गौ.गु.खाल खदर, ख.न. 359 रकबा 0.85 है0 किस्म गौ.गु.खाल खदर, ख.न. 360 रकबा 1.80 है0 किस्म गौ.गु.खाल खदर, ख.न. 361 रकबा 0.93 है0 किस्म गौ.गु.खाल खदर, ख.न. 365 रकबा 1.85 है0 किस्म गौ.गु.खाल खदर, ख.न. 366 रकबा 1.33 है0 किस्म गौ.गु.खाल खदर, ख.न. 314 रकबा 4.91 है0 किस्म गौ.गु.खाल खदर, ख.न. 473 रकबा 1.10 है0 किस्म गौ.गु.खाल खदर, ख.न. 475 रकबा 5.25 है0 किस्म गौ.गु.खाल खदर, ख.न. 471 रकबा 1.08 है0 किस्म



कायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

www.kota.rajabasthan.gov.in

गै.मु.खाल खददर, ख.न. 472 रकबा 3.19 है 0 किस्म गै.मु.खाल खददर, ख.न. 52 रकबा 0.81 है 0 किस्म बंजड़, ख.न. 53 रकबा 1.46 है 0 किस्म बंजड़, ख.न. 84 रकबा 1.62 है 0 किस्म बंजड़, ख.न. 105 रकबा 0.65 है 0 किस्म बंजड़, ख.न. 191 रकबा 1.02 है 0 किस्म बंजड़, ख.न. 211 रकबा 2.11 है 0 किस्म बंजड़, कुल किला 43 रकबा 109.26 है 0।
ग्राम बोरिंगावृद्ध तहसील सांगोद के आराजी ख.न. 3/1 रकबा 38.50, ख.न. 220 रकबा 10.70 है 0, ख.न. 390 रकबा 42.59 है 0, कुल किला 3 रकबा 91.79 है 0 किस्म गै.मु. खाल।
ग्राम विजयपुर तहसील सांगोद के ख.न. 37 रकबा 13.46 है 0, ख.न. 280 रकबा 7.03 है 0, ख.न. 336 रकबा 9.96 है 0, ख.न. 337 रकबा 8.69 है 0, ख.न. 339 रकबा 29.70 है 0, ख.न. 341 रकबा 9.65 है 0, ख.न. 343 रकबा 9.71 है 0, ख.न. 344 रकबा 3.24 है 0, कुल किला 8 रकबा 91.44 है 0 किस्म खाल खददर।
ग्राम गौपालपुर तहसील लाहपुरा की आराजी खसरा 70 ख.न. 443 रकबा 5.80 है 0 किस्म बंजड़, ख.न. 450 रकबा 4.14 है 0 किस्म गै.मु.पठार, ख.न. 452 रकबा 14.30 है 0 किस्म गै.मु.पठार, ख.न. 460 रकबा 3.00 है 0 बंजड़, ख.न. 514 रकबा 38.98 है 0 गै.मु.खाड़ी, ख.न. 517 रकबा 13.24 है 0 गै.मु.पठार, ख.न. 518 रकबा 1.20 है 0 गै.मु.पठार, ख.न. 519 रकबा 4.05 है 0 गै.मु.पठार, ख.न. 522 रकबा 28.52 है 0 गै.मु.पठार, कुल किला 9 रकबा 113.23 है 0।
ग्राम सिंहपुरा तहसील लाहपुरा की आराजी ख.न. 350 रकबा 18.50 है 0 गै.मु.पठार, ख.न. 351 रकबा 35.00 है 0 गै.मु.पठार, ख.न. 355 रकबा 35.79 है 0 गै.मु.पठार, ख.न. 356 रकबा 5.93 है 0 गै.मु.पठार, कुल किला 4 रकबा 95.22 है 0।
ग्राम भिलौल तहसील लाहपुरा की आराजी ख.न. 162 रकबा 10.09 है 0 किस्म बंजड़, ख.न. 159 रकबा 3.788 है 0 किस्म बंजड़ कुल किला 2 रकबा 13.878 है 0 गै.मु.प्रस्तावित की गई है।

प्रस्तावित भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकांसी/तहसीलदार, लाहपुरा एवं सांगोद के विधिवित प्रपत्र पर प्रस्ताव, बैकलिट, नकल जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, नदशा, रैस, पटवारी की रिपोर्ट, संबंधित विभाग की मांग/सहमति व वन विभाग की सशर्त सहमति पर संलग्न है।
अतः उक्त प्रकरण में अधिकांसी अभियंता, जल संसाधन खण्ड कोटा व उप वन संरक्षक, कोटा की सहमति के आधार पर उपरोक्त भूमि को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) के अन्तर्गत नौनरा बैराज के निर्माण में डब्लू बैंक में आ रही कोटा जिले की 580.938 है 0 वन भूमि की एवज में राजस्व विभाग की भूमि कुल किला 86 रकबा 580.938 है 0 की वन विभाग के नाम आवंटन हेतु राजकीय स्वीकृति प्रदान करने करने का कष्ट करें।

संलग्न:-मूल प्रस्ताव

कमांक:40 (राजस्व-III/नौनरा/2020/8219-30)
प्रतिलिपि:-सूचनाएं एवं आवश्यक कांदावाही हेतु
1.अधिकांसी अभियंता, जल संसाधन खण्ड कोटा।
2.उपवन संरक्षक वन विभाग कोटा।

दिनांक/6-09-2020

2/15/19
जिला कलक्टर
कोटा

35
जिला कलक्टर
कोटा